

न्यायालय अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ।
पीठासीन अधिकारी :- अशोक असीजा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 73/2021
राजस्थान राज्य जरिये प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

लालचन्द पुत्र ख्यालीराम निवासी फूलेजी तह0 लूणकरणसर जिला चुरू

अप्रार्थी

मुकदमा अन्तर्गत धारा 6 ए ई0सी एक्ट

उपस्थित:- 1 श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अधिवक्ता।

2 श्री रामकुमार कस्वां अप्रार्थी अधिवक्ता।

:-निर्णय:-

दिनांक:- 27.7.2021

राजस्थान राज्य जरिये प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ द्वारा यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया। जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 15.07.2021 को जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ हमराइ कार्यालय स्टाफ के साथ पेट्रोल-डीजल की अवैध तस्करी, भण्डारण एवं परिवहन की रोकथाम विरुद्ध अभियान के तहत बरवाली नोहर रोड़ पर पिकअप नं0 RJ-13-GB-6483 को रूकवाकर वाहन की तलाशी ली गई। मौके पर उपस्थित गवाहों के समक्ष तलाशी के दौरान 2400 लीटर डीजल मय 11 प्लास्टिक ड्रम मिले। वाहन चालक ने स्वयं का नाम लालचन्द पुत्र ख्यालीराम उम्र 32 वर्ष जाति शर्मा निवासी फूलेजी तह0 लुणकरणसर जिला चुरू का होना बताया। मुताबिक लालचन्द उक्त पिकअप में भरा समस्त डीजल हरियाणा स्थित पेट्रोल पम्प से खरीद किया गया है एवं डीजल के उपयोग एवं परिवहन के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं दिया एवं न ही कोई वैध दस्तावेज लाईसेंस, परमिट आदि होना बताया। उक्त पिकअप में लगातार भण्डारण एवं परिवहन स्पष्ट करता है कि उक्त वाहन का उपयोग हरियाणा से डीजल खरीद कर राजस्थान में अवैध कारोबार करने में किया जाता है। मौके पर पाये गये 2400 लीटर डीजल मय 11 प्लास्टिक ड्रम संबंध में कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने एवं अवैध भण्डारण एवं कारोबार स्पष्ट होने के कारण 2400 लीटर डीजल मय 11 प्लास्टिक ड्रम तथा पिकअप नं0 RJ-13-GB-6483 को मौके पर ही जब्त कर लिया गया। जब्त की गई उक्त सामग्री श्री मुकेश यादव पुत्र श्री किशोरीलाल जाति यादव उम्र 35 वर्ष हाल यादव पेट्रोलियम, हनुमानगढ टाउन को सुपुर्दगी में दिया गया। इस प्रकार नाम लालचन्द पुत्र ख्यालीराम उम्र 32 वर्ष जाति शर्मा निवासी फूलेजी तह0 लुणकरणसर जिला चुरू द्वारा मोटर स्पिंट और उच्चवेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के खण्ड 4 का उल्लंघन किया गया है। जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र अंतर्गत 6ए प्रस्तुत कर राज्य जरिये प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय हनुमानगढ द्वारा निवेदन किया गया कि जब्त पिकअप नं0 RJ-13-GB-6483 मय 2400 लीटर डीजल मय 11 प्लास्टिक ड्रम को राजसात करने के आदेश फरमावे।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6बी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया। जब्तशुदा डीजल को

ज्वलनशील पदार्थ होने से जानमाल की हानि की संभावना को ध्यान में रखते हुए जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ को अन्तरिम निस्तारण कर उक्त राशि राजकोष में जमा करवाये जाने के आदेश दिनांक 19.07.2021 को दिये जा चुके हैं।

अप्रार्थी द्वारा जरिये अभिभाषक जवाब नोटिस प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम पेश किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया कि अप्रार्थी वाहन पिकअप नं० RJ-13-GB-6483 लेकर हरियाणा से 11 ड्रमों में अलग-अलग 2400 लीटर डीजल अपने घरेलु उपयोग हेतु लेकर आ रहा था। अप्रार्थी द्वारा सिरसा (हरियाणा) से खरीद के बिल जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ को दिखा दिये थे एवं उक्त डीजल अपने घरेलु उपयोग व अपने कृषि कार्यों हेतु ले जाना बता दिया था एवं 2400 लीटर डीजल परिवहन करने हेतु राजस्थान राज्य एवं भारतवर्ष में आपराधिक कृत्य नहीं है, ना ही इस हेतु किसी लाईसेन्स अथवा परमिट की आवश्यकता है। मा० राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा क्रमीनियल एस.बी. मिसलेनियस रिट पेटिशन नं० 1206/2016 में पारित आदेश दिनांक 10.08.2017 व पेटिशन सं० 4279/2018 में पारित आदेश दिनांक आदेश 03.01.2019 में इस तरह की कार्यवाहियों को गलत मानते हुए जब्त डीजल वापिस शास्ति सहित दिलवाने के आदेश दिये हैं। भारत सरकार द्वारा 2500 लीटर डीजल परिवहन करने की छूट दी गई है तथा वह किसी प्रकार से दण्डनीय अपराध नहीं है। डीजल के बिल मौके पर जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ को दिखा दिये थे तथा समस्त तथ्यों से अवगत करवा दिया था कि 2400 लीटर डीजल अपने घर अथवा कृषि भूमि पर लेकर जाना कोई अपराध नहीं है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध स्टेट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज कर अप्रार्थी की पिकअप नं० RJ-13-GB-6483 मय 2400 लीटर डीजल मय 11 प्लास्टिक ड्रम प्लास्टिक ड्रम को वापस लौटाये जाकर जब्ती की कार्यवाही निरस्त करने का निवेदन किया है।

बहस सुनी गयी। राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया है कि जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा जब्तशुदा डीजल को ड्रम के साथ जब्त किया गया है। अप्रार्थी द्वारा बिना लाईसेंस व परमिट के अवैध डीजल तेल रखना व परिवहन करना राजस्थान आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है। इसलिए जब्तशुदा डीजल मय वाहन राजसात किया जावे।

अप्रार्थी ने जवाब प्रा०पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त डीजल अपने घरेलु उपयोग व अपने कृषि कार्यों हेतु ले जाना बता दिया था एवं 2400 लीटर डीजल परिवहन करने हेतु राजस्थान राज्य एवं भारतवर्ष में आपराधिक कृत्य नहीं है, ना ही इस हेतु किसी लाईसेन्स अथवा परमिट की आवश्यकता है। भारत सरकार द्वारा 2500 लीटर डीजल परिवहन करने की छूट दी गई है तथा वह किसी प्रकार से दण्डनीय अपराध नहीं है। डीजल के बिल मौके पर जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ को दिखा दिये थे तथा समस्त तथ्यों से अवगत करवा दिया था कि 2400 लीटर डीजल अपने घर अथवा कृषि भूमि पर लेकर जाना कोई अपराध नहीं है। अतः जब्तशुदा वाहन मय डीजल अप्रार्थी को लौटाकर प्रार्थी (अप्रार्थी सं० 01) के विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। रिकार्ड के अनुसार अप्रार्थी द्वारा उक्त डीजल की जब्ती के दौरान कोई वैध दस्तावेज प्रवर्तन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। ना ही तलाशी के दौरान यह सिद्ध किया कि उसके पास खुद की कितनी कृषि भूमि है, जिसके लिए उसे लगातार डीजल का परिवहन करना पड़ रहा है। अप्रार्थी ने तलाशी के वक्त कोई वाहनों के स्वामित्व के दस्तावेजों एवं कृषि भूमि के दस्तावेज यथा जमाबंदी आदि प्रस्तुत नहीं किये। अप्रार्थी द्वारा न्यायालय के समक्ष जवाब


प्रस्तुत किया है उससे अप्रार्थी का निजी उपयोग हेतु परिवहन किये जाने का तर्क साबित नहीं होता है। यह पश्चातवर्ती (After thought) तर्क है। पत्रावली के संपूर्ण अवलोकन से अप्रार्थी का उक्त कृत्य 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसके लिए अप्रार्थी दोषी है।

अतः प्रार्थी राज्य जरिये प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय हनुमानगढ़ का प्रार्थना पत्र अंतर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर 2400 लीटर डीजल मय 11 प्लास्टिक ड्रम को इस न्यायालय द्वारा जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ को अन्तरिम निस्तारण कर उक्त राशि राजकोष में जमा करवाये जाने के आदेश दिनांक 19.07.2021 को दिये जा चुके हैं, को राज्य के पक्ष में राजसात (Confiscate) किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि निस्तारण से प्राप्त राशि को राज्य के राजकोष में जमा कर चालान नम्बर व दिनांक सहित पालना रिपोर्ट 15 दिवस में इस न्यायालय को प्रस्तुत करें।

जहां तक जब्तशुदा वाहन पिकअप नं0 RJ-13-GB-6483 का प्रश्न है, वाहन मालिक के विरुद्ध दुबारा पुनरावर्ती नहीं हो कि चेतावनी के साथ केवल मात्र इस न्यायालय में दर्ज उक्त दर्ज धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रकरण में जब्तशुदा वाहन पिकअप नं0 RJ-13-GB-6483 को जब्ती से बागुजार (मुक्त) किया जाता है।

अतः जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ को आदेश दिये जाते हैं कि रजिस्टर्ड मालिक द्वारा वाहन के मालिकाना दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर उक्त जब्तशुदा वाहन पिकअप नं0 RJ-13-GB-6483 के इंजिन नं0 व चैसिस नम्बर, वाहन की पंजीयन कॉपी (आरसी) से मिलान सही पाये जाने पर नियमानुसार वाहन मालिक को सौंप दिया जाये। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.7.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(अशोक असीजा)

अपर जिला कलक्टर एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़